-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा घर में चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी के आभूषण व नगद रुपये बरामद ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना तिन्दवारी क्षेत्र के अमलीकौर की रहने वाली विद्यावती ने दिनांक 08.08.2025 को थाना तिन्दवारी पर सूचना दी कि उसके घर में अज्ञात लोगों द्वारा दिनांक 06/07.08.2025 की रात्रि को चोरी कर ली गई है । जिसके सम्बन्ध में थाना तिन्दवारी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे । इसी क्रम में आज दिनांक 13.08.2025 को थाना तिन्दवारी पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल 02 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया । तलाशी में के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित सफेद व पीली धातु के आभूषण बरामद हुए । कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने कुछ दिन पूर्व ग्राम अमलीकौर राजापुर में चोरी किये थे ये आभूषण उसी चोरी के है । पुलिस द्वारा अभियुक्तों के पास से बरामद अवैध तमंचा, कारतूस, आभूषण को कब्जे में लेकर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस
- सफेद व पीली धातु चोरी के आभूषण (04 बिछिया, 02 बाली, 01 जंजीर, 02 पायल, 02 झुमके)
- 230 रुपये नगद चोरी के

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. छोटू यादव पुत्र लाखन यादव निवासी बिलगांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
2. अन्नू यादव पुत्र गोडाई यादव उर्फ रामविशाल यादव निवासी राजापुर अमलीकौर थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 178/25 धारा 331(4)/305(1)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री सुरेश कुमार सैनी प्र0नि0 थाना तिन्दवारी
2. उ0नि0 श्री कृष्ण प्रताप सिंह
3. कां0 देवाशं सिंह चौहान
4. कां0 आशीन कुमार